ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in April 2025

महिला सशक्तिकरणः सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

सुकृति यादव, शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ0 अमित कुमार उपाध्याय, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश

महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं को सशक्त तथा योग्य बनाना होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं के निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, उन्हे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से आत्म निर्भर बनाना जिससे समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। महिला सशक्तिकरण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास की मुख्य प्रक्रिया है। यह समाज में प्रचलित पारंपरिक रीति रीवाज तथा कुप्रथाओं से महिलाओं को जागरूक करना है। महिला शक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा का है। शिक्षा के द्वारा ही महिला सशक्त तथा शक्तिशाली होती है अपने अधिकारों के बारे में जानती है। अपने जीवन से सम्बंधित हर फैसले स्वयं लेती है। जिससे समाज तथा परिवार में सम्मान तथा प्रतिष्ठा मिलती है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज तथा राष्ट्र का विकास होता है। इसलिये हम कह सकते है कि महिला सशक्तिकरण समाज और राष्ट्र के प्रगति के लिये महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य शब्दः– महिला, सशक्तिकरण, समाज, सहभागिता, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, महत्वपूर्ण सशक्त अधिकार

महिला सशक्तिकरणः– किसी भी समाज की उन्नति उसकी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति से तय होती है। ऐसे में अगर सामाजिक समानता का आधार किसी महिला या पुरुष होने से सम्बंधित है तो यह एक गम्भीर समस्या है। इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिये देश को पूरी तरह से सशक्तिशाली बनाने के लिये महिला सशक्तिकरण आवश्यक है महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति शक्ति विकास एवं आत्म शक्ति को सुनिश्चित करना है। महिला का शक्ति सम्पन्न होना केवल उसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नही डालता बल्कि बच्चों एवं पुरुषो का जीवन भी लाभान्वित होता है। भारतीय समाज में महिलाओं का दबा होना अन्याय है। अभावों के निराकरण में उसकी भूमिका को कुंठित कर देता है। महिलाओं की भूमिका के प्रसार से केवल बालिकाओं एवं वयस्क महिलाओं के कुशलता में सुधार नही होता यह सारे समाज में व्याप्त अभावों के निराकरण में सहायक होता है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओ को शक्ति देना तथा सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन करना होता है। इसमें भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधन जैसे सूचना, विचार, ज्ञान आदि शामिल है। इन सबका उद्देश्य महिला एवं पुरुष के बीच की शक्ति को परिवर्तित करना ताकि समाज में शक्ति का समान रूप से वितरण किया जाय। इसके लिये महिलाओं में ज्ञान आत्म विश्वास शिक्षा आदि की तेजी से वृद्धि करनी होगी।

महिला सशक्तिकरण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य –

शताब्दियों से भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति दयनीय और शोचनीय रही है। उसे दोयम दर्जा की भी नागरिक नही समझा गया। अत्याचार उत्पीड़न ये सब उसके जन्म से जुड़े है। वह परिवार की सदस्य होते हुये भी सदैव से उत्प्रेक्षा की पात्र बनी रही। उनके कर्तव्य को बोझ के तले दबा दिया गया। इस प्रकार महिला पुरुष में असमानता ही नही बल्कि एक बड़ी खाई रही है। पिता, पुत्र पति किसी न किसी रूप में वह इनके संरक्षण में रही है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिये अनेको सकारात्मक उपाय किये जिन्हे संवैधानिक रूप से लागू किया गया। संवैधानिक प्रावधानों से भारतीय महिलाओं की स्थिति में जहां सुधार देखने को मिल रहा है। वही महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का विकास हुआ है। सामाजिक न्याय महिला पुरुष सभी के लिये है। वे अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र है। भारतीय संविधान महिला तथा पुरुष का समान अवसर प्रदान करता है। महिलाओं के लिये बनाये गये कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबन्ध निम्न है–

1. अनुच्छेद–14–भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही किया जायेगा।
2. अनुच्छेद–15–धर्म, मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों से किसी प्रकार का भेदभाव नही करेगा उसकी नजर में महिला पुरुष दोनो समान है।
3. अनुच्छेद–16–राज्य के अधिन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति सम्बंधित विषयों में सभी नागरिकों के समान अवसर होगा।
4. अनुच्छेद–17–अस्पृश्यता का अंतः किसी भी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा।

5. अनुच्छेद–19–वाक स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
6. अनुच्छेद–21–प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
7. अनुच्छेद–23 और 24–इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के श्रम बालश्रम और मानव दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है।
8. अनुच्छेद–41– में महिला तथा पुरुष को समान कार्य के लिये समान वेतन की व्यवस्था किया गया है।
9. अनुच्छेद–42– में महिलाओं के लिये प्रसूति सहायता की व्यवस्था किया गया है।

महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाये अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक हुयी है वे अब अपने सामाजिक अधिकारों को न सिर्फ समझती है बल्कि उसका उपयोग भी करना जानती है। समाज में पुरानी रूढ़िवादी विचार धारा के खण्डन करने से लेकर अपने हक के लिये सामाजिक परिवर्तन लाने तक प्रत्येक मोर्चे पर महिलाओं की उपस्थिति आम बात हो गई है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिये अब महिलाये कानून का सहारा लेने में भी संकोच नही करती है।

भारतीय महिलाये आज हर क्षेत्र में हर बाधा को दूर करते हुये आगे बढ़ रही है। सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी घर हो या सार्वजनिक स्थान महिलाओं को सभी जगह अपना अधिकार लेने आता है। आज निजी क्षेत्र कंपनियों में कुल वर्कफोर्स की 24.5 फीसदी महिलाओं की भागीदारी है सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 17.9 प्रतिशत है कई ऐसे क्षेत्र है जिसमें केवल पुरुष का एकाधिकार था वहा महिलायें अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही है। नई पीढ़ी की महिलायें एवं कामकाजी महिलायें महत्वाकाक्षी तथा साहसी है। देश की प्रत्यक्ष श्रम शक्ति में 40 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष श्रमशक्ति में 90 प्रतिशत योगदान महिलाओं का है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत पूरी दुनिया को 13 करोड़ कर्मचारी प्रदान करेगा। इसमें सबसे बड़ा भाग महिलाओं का होगा युवा महिलाये जो शिक्षा, बैकिंग आई0टी0 और यहाँ तक सैन्य बलो में भी अपना स्थान बना चुकी है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण और कृषि कार्यों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी कम नही है। सरकार प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये समान अवसर प्रदान कर रही है परिणाम स्वरूप महिलाये हर क्षेत्र में अपनी नयी पहचान बना रही है।

महिला सशक्तिकरण का आर्थिक परिप्रेक्ष्यः– किसी भी देश के विकास को निर्धारित करने के लिये उत्पादन, उद्योग, व्यापार शिक्षा आदि के साथ–साथ वहाँ के महिलाओं के आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। देश की महिलाएं आर्थिक गतिविधियों मे पुरुषो के साथ समान भागीदारी कर रही है। स्वास्थ्य खेल शिक्षा, सुरक्षा, सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अधिकांश रूप से बढ़ रही है। कॉरपोरेट सेक्टर में दो दशक पहले पुरुषों का वर्चस्व था। आज के समय महिलाये न केवल अपनी प्रबंधकीय क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है बल्कि उनका नेतृत्व भी कर रही है। कभी ऐसा समय था जब महिलाओं के आर्थिक कार्यो पर शक किया जाता था लेकिन वर्तमान समय में वे आर्थिक कार्यो में सफल अपने परिवार की वित्तीय दशा को सुदृढ़ करने के लिये व्यवसाय क्षेत्र में महिलाये पुरुषो के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। महिलाओं के कार्य करने से घर की आय में वृद्धि होती है और अन्य सदस्यों को आर्थिक रूप से सहयोग भी मिलता है। राष्ट्रीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देश के आर्थिक विकास के लिये पुरुष उद्यमियों के साथ–साथ महिला उद्यमियों का अधिक योगदान है। महिलाये केवल शहरों में ही नही बल्कि पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न व्यवसायों को अपना कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये, सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये है। महिलाओं द्वारा बनाये गये उत्पादों की मार्केटिंग के लिये सरकार ने ई–महिला आनलाइन पोर्टल की शुरूआत की। इस पोर्टल का उद्देश्य वित्तीय समावेश लागू करके महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करना और प्रौद्योगिकी का फायदा उठाकर उनके उत्पादों के लिये एक विपणन तैयार करना।

महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक परिप्रेक्ष्यः– विश्व के अनेक देशों में जहाँ आज भी महिलाओं को पिछड़ा मानने के कारण उन्हें वोट देने का अधिकार नही प्राप्त था। भारतीय महिलाओं को भी 1919 तक वोट देने का अधिकार नही था। किसी भी राज नैतिक कार्य में महिलाओं को भाग नहीं लेने दिया जाता था। उनका जीवन घर की चारदीवारी तक ही सीमित था। महात्मा गाँधी जी ने महिलाओं को घर से बाहर लाने का प्रयास किया उन्होंने स्वयं को महिलाओं के अधिकारों के बारे में किसी तरह का समझौता न करने वाला घोषित कर दिया था। उनका विश्वास था कि समाज के पुनः निर्माण में महिलाओं को एक सुनिश्चित भूमिका अदा करनी है और सामाजिक न्याय पाने के लिये उनको समानता के अधिकार को

मान्यता देना एक अनिवार्य कदम है। महिलाओ कोा वोट देने के अधिकार को भी उन्होंने ने अपना निरन्तर और सम्पूर्ण समर्थन दिया। स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं के भारी संख्या में भाग लेने के साथ गाँधी जी के इस प्रयास ने राजनीतिक और सामाजिक संभ्रान्त वर्ग पर जिसमें इन वर्गो की महिलाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला।

आज भारत में नये संविधान द्वारा सभी व्यस्क महिलाओं को मताधिकार मिलने से उनमें तेजी से राजनीतिक चेतना का विकास होने लगा। आज महिलाओं में राजनीतिक चेतना के विकास को इस तथ्य तक समझा जा सकता है कि इस समय केवल लोक सभा और राज्य सभा में ही महिला सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है। विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुयी है। अब केन्द्रीय पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार सभी राज्यों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि ग्राम पंचायत विकास पंचायत तथा जिला पंचायत में विभिन्न श्रेणियों के 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित कर दिये गये है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी पंचायतों की अहम भूमिका है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। पंचायती राज प्रणाली महिलाओं की स्थिति में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने तथा उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने में सफल हुई है। इससे देश के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये ज्यादा सकारात्मक बदलाव लाने वाली प्रक्रिया कहा जा सकता है। पंचायत राज प्रणाली महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये वरदान सिद्ध हुयी है।

74वें संवैधानिक संशोधन में 73वें संवैधानिक संशोधन की तरह ही शहरी स्थानीय नगर–निगम घोषित क्षेत्र प्राधिकार के लिये प्रावधान बनाये गये। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय स्तर पर लोक सभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है। आज महिलाये राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रो में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। महिलाओं की जागरूकता राजनीति की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं के लिये नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 लाया गया। भारतीय संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से लोक सभा राजसभा विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह लोक सभा और, राज्य सभा, विधान सभाओ में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित सीटो पर लागू होगा। इस अधिनियम के लागू होने से महिला सशक्तिकरण और प्रभावी होगा।

महिलाएँ राजनीति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रही है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी बनी और देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया। एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रोपती मुर्मु ने अपना पेशेवर जीवन एक अध्यापक के रूप में प्रारम्भ किया था इसके बाद सक्रियता से राजनीति में आगे बढ़ने लगी और आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार गृहण की है।

निष्कर्षः– उपर्युक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दिशा में अनेको कदम उठाये गये। सरकारी नीतियाँ तथा कार्यक्रम बनाये गये। महिलाओं के लिये सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गयी। परन्तु अब आवश्यकता है महिला विकास की इन सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी तथा निष्ठा से सही तरह तथा सही जगह पहुचाना। महिलाये समाज की अनिवार्य अंग है। अपने शिक्षा तथा अधिकार के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। महिलाओं को पत्नीत्व तथा मातृत्व दायित्व के साथ–साथ समाज तथा राष्ट्र के विकास के क्रिया कलापों में सहयोग दे सकती है। इसलिये महिलाओं को सशक्त तथा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिये उन्हें शिक्षित होना आवश्यक है जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सके और अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र का विकास कर सकें।

सन्दर्भ

1. अमर्त्य सेन, भारत विकास की दिशाएं, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 2011
2. प्रदीप श्रीघर, स्त्री चिन्तन की अन्तर्धाराये और समकालीन हिन्दी उपन्यास, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली, 2010
3. संजय श्रीवास्तव, महिला सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर, कुरूक्षेत्र, जनवरी, 2016
4. रचना मिश्रा, भारत में नारी राजनीतिक परिवर्तन, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2013
5. वी0एन0सिंह व जनमेजय सिंह, आधुनिकरण एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, 2010
6. सुरभि गौड़, महिलाओं के सर्वागीर्ण विकास को प्रोत्साहन, कुरूक्षेत्र, मार्च, 2018
7. https://www.drishtiias. Com/Hindi/to the Paints/ Paper 2/ women reseveation avt 2023 women-in politics
8. डा0 गोपाल अग्रवाल, भारत मे समाज, एस0बी0पीडी0 पब्लिकेशन हाउस, आगरा, 2012–13